



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 962/2026

कृपाल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनिल कुमार शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शुक्ला तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह मई 1990 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, किन्तु उसे न्यूनतम वेतनमान प्रदान नहीं किया गया है, जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुभाष शंकर दुबे बनाम प्रभागीय वन अधिकारी, (2019) 12 एससीसी 297 में पारित निर्णय के आलोक में ₹18,000/- प्रतिमाह निर्धारित होता है। दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया परीक्षण प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा किया जाना आवश्यक है।
3. दूसरी ओर, learned स्थायी अधिवक्ता का यह कहना है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया विचार प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा किया जाना आवश्यक है।
4. बार में की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि रिट याचिकाकर्ता, रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति तथा इस आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए एक समग्र प्रत्यावेदन प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष प्रस्तुत करे। उक्त प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या 3 विधि के अनुसार कड़ाई से रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा तथा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर निर्णय करेगा।”

जनवरी 28, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"